

FROM No.III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम.....

..... रमेश चंद्र बनाम कमला देवी

किस्म मुकदमा..... रा. 131, 136 नं. 10/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तापील में जारी हुए
05/01/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रमेश N साहू ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 131, 136 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08/02/2021 को पेश हो।  सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
08/02/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गण संख्या - 1 व 2 की कोर्ट से वकील श्री मोमराम सिंघान द्वारा वकालतनामा मय इसवाली जवाब पेश किया गया जिसे वाकील पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठामिन अधिकारी का पद रिक्त होने से मित्राल इलतवा डोट क्राजामी दिनांक 22/03/2021 को पेश हो।	रमेश चंद्र
22/03/2021	वकुलाय करीबिन उपस्थित। श्रीमान पीठामिन अधिकारी का पद रिक्त होने से मित्राल इलतवा डोट क्राजामी दिनांक - 19/04/2021 को पेश हो।	रमेश चंद्र



19/04/2021

पञ्जावली आज पेवा हुई। कोरस
2019 के चलते डीए नही लिखा गया।
सीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त
होने से मिशाल इल्लवा टोडर आगासी
दिनांक 07/06/2021 को पेवा दी।

10/09/2021

07/06/2021

वडुलाम फलीडेन उपलब्ध। सीमान
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से
मिशाल इल्लवा टोडर आगासी दिनांक 04/08/2021
को पेवा दी।

04/08/21

वडुलाम फलीडेन उपलब्ध। सीमान
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से
मिशाल इल्लवा टोडर आगासी दिनांक 24/08/21
को पेवा दी।

24/08/2021

प्रार्थी वहील उपलब्ध। विधी संख्या-
1 व 2 पूर्व में इडवालिमा है। प्रार्थी वहील द्वारा
उर्धना-यम अन्तर्गत धारा-151 cpe 1908 कानून
तदधीलसाद बाधु से तदभात्मकु रिपोर्ट तलक डाने
बाबत पेवा विमल गण्य जिसे शामिल पञ्जावली
विमल गण्य। सीमान पीठासीन अधिकारी दिनांक
कार्य में व्यत्यय होने से मिशाल इल्लवा टोडर
आगासी दिनांक 16/11/2021 को पेवा दी।

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तापील
में जारी हुए

10/09/2021

पार्थी व श्रील उपस्थित। विपार्थी गठ
पूर्व में इडवालिग है। पार्थी अधिवक्ता
द्वारा पार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151
CPC पत्रावली तलब कर शीघ्र सुनवाई
करने वाकत डा प्रदुत विमा गमा,
पार्थना-पत्र स्विकार विमा जाडर पत्रा-
वली काज पेशी तारीख पर तलब
ही गई, पार्थी के अधिवक्ता की एड-
पसिग वदम सुनी गई, पत्रावली व
पत्रावली के संलग्न राजाम्व रेड्स
तथा विपार्थी गठों द्वारा प्रदुत इडवालिग
जवला डा अक्लोकन करने के बाद
पार्थी डा कावेदन स्विकार विमा जाडर
कौदेश अलग से लिखा जाडर शामिल
पत्रावली विमा गमा। पत्रावली फेसल
धुमार दौडर डर नम्बर से कम ही दाखिल
दफ्तर ही।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी:- जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

संख्या- 10/2021

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थी

1. रमेशचन्द्र पुत्र आदूराम जाति
जाट निवासी माडपुरा पुराना
गांव, माडपुरा बरवाला तहसील
बायतु जिला बाड़मेर

1. कमला पत्नि हेमाराम
2. डूंगराराम पुत्र आदूराम जाति
जाट निवासी माडपुरा पुराना गांव
ग्राम पंचायत माडपुरा बरवाला
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956.

आदेश

दिनांक:-10.09.2021

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री कैलाश नारायण सारण एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा माडपुरा पुराना गांव पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 320 रकबा 9.1174 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त भूमि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है, जो भूमि पक्षकारान के पूर्वज आदूराम के फौतगी के दौरान जरिये नामान्तरकरण संख्या 34 के आदूराम के जीवित पुत्रों रमेशचन्द्र, डूंगराराम, मृतक पुत्र हेमाराम की पत्नि कमला व आदूराम की पत्नि नैनु का नाम राजस्व रेकॉर्ड में 1/4 -1/4 हिस्सा दर्ज किया गया। तत्पश्चात् बायतु तहसील में कम्प्यूटीकरण जमाबन्दी (ऑनलाईन) के कारण राजस्व रेकॉर्ड त्रुटिवश हिस्से गलत दर्ज हो गये। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकॉर्ड दुरस्ती हेतु यह आवेदन पेश किया गया।

विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री भोमाराम सियाग इकबालिया जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने राजस्व अभिलेख व विप्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब का अवलोकन किया। अतः उपरोक्त विषयों एवं विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मौजा माडपुरा पुराना गांव पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 320 रकबा 9.1174 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के गलत हिस्से 1/6 के स्थान पर 1/4 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 1 के 1/2 हिस्से के स्थान पर 1/4 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 2 के 1/6 हिस्से के स्थान पर 1/4 हिस्सा तथा मृतक माता नैनु पत्नि आदूराम के 1/6 हिस्सा के स्थान पर 1/4 हिस्सा दुरस्त करते हुए वर्तमान में नैनु पत्नि आदूराम

का देंहान्त होने के कारण मृतक नैनु पत्नि आदूराम का नाम राजस्व रेकॉर्ड से विलोपित किये जाने तथा प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 -1/3 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश किया जाता है।

तहसीलदार बायतु आदेशानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैंसल शुमार हो, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
(SDO) बायतु

10/9/21